3598

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

हरियाणा HARYANA G 337256

न्यास–पत्र (TRUST DEED)

"दिशा" (DISHA)

M-9416195588

(एक शैक्षणिक सांस्कृतिक एवं साहित्यिक अभियान)

मै मुकेश दिगानी पुत्र श्री रामचन्द दिगानी निवासी 90/13, अशोक नगर, गन्नौर, सोनीपत आज दिनांकः 27 सितम्बर,2012 को "दिशा" ट्रस्ट के इस घोषणा–पत्र का निष्पादन कर रहा हूँ।

"दिशा" की स्थापना का मुख्य उद्देश्य शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक अभियान द्वारा समाज की विभिन्न प्रकार की सेवा कर उसका उत्थान करने हेतु किया गया है। इस ट्रस्ट के द्वारा समाज के सभी वर्ग को हर प्रकार के प्रयास कर उत्तम बनाने व सभी प्रकार के कल्याणकारी कार्यों को करना है। 'दिशा' से सम्बन्धित सभी प्रकार की व्यवस्थायें तथा प्रबन्ध करने तथा मानव समाज में कला, संस्कृति, मानवता, स्थायी सुख, शांति, सद्भाव, सदाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि उत्तम व आर्दश गुणों आदि की स्थापना करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। इस ट्रस्ट की स्थापना करने के निमित्त प्रारम्भ में मै रू0 1,000/–(एक हजार मात्र) सहयोग हेतू (Charitable purposes) प्रदान कर रहा हूँ।

यह घोषणा की जाती है कि सभी प्रकार के कोष दान, अनुदान, किसी प्रकार का किराया, लाभ या अन्य कोई आय, सभी प्रकार की चल–अचल सम्पत्ति, प्रतिभूतियाँ आदि सब मिलकर ट्रस्ट का कोष कहलायेंगी, जो ट्रस्ट के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयोग की जायेगी।

यह घोषणा की जाती है कि यह एक समाजसेवी, जन सेवार्थ ट्रस्ट होगा, जिसमें एक लिखित प्राविधान निम्न प्रकार होगाः–

प्रलेख नः 3548

दिनाँक 27/09/2012

डीड सबंधी विवरण	
डीड का नाम	TRUST
तहसील/सब-तहसील	गन्नौर
गांव/शहर	गन्नौर

धन सबंधी विवरण	
राशि जिस पर स्टाम्प डयूटी लगाई 1,000.00 रुपये	स्टाम्प डयूटी की राशि 100.00 रुपये
रजिस्ट्रेशन फीस की राशि 100.00 रुपये	पेस्टिंग शुल्क 3.00 रुपये

Drafted By: रामप्रसाद कौशिक

यह प्रलेख आज दिनाँक 27/09/2012 दिन गुरूवार समय 11:01:00AM बजे श्री/श्रीमती/कुमारी मुकेश दीगानी पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती/कुमारी रामचन्द दिगानी निवासी गन्नौर द्वारा पँजीकरण हेतु प्रस्तुत किया गया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता

उप / सयुँक्त पँजीयन अधिकारी
गन्नौर

श्री मुकेश दीगानी

उपरोक्त न्यासकर्ता व श्री/श्रीमती/कुमारी न्यासी हाजिर है। प्रस्तुत प्रलेख के तथ्यो को दोनो पक्षो ने सुनकर तथा समझकर स्वीकार किया। दोनो पक्षो की पहचान श्री/श्रीमती/कुमारी शकुन्तला ल0 पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री रमेश निवासी गढी केसरी व श्री/श्रीमती/कुमारी राजीव पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती/कुमारी बालमुकन्द निवासी गन्नौर ने की। साक्षी नः 1 को हम नम्बरदार/अधिवक्ता के रूप मे जानते है तथा वह साक्षी नः 2 की पहचान करता है।

दिनाँक 27/09/2012

उप / सयुँक्त पँजीयन अधिकारी
गन्नौर

"दिशा" ट्रस्ट का संविधान

ACT of "DISHA" Trust

स्मृति–पत्र (Memorandum)

1– न्यास का नाम : "दिशा" (DISHA)

2– कार्यालय का पंजीकृत पताः 90/13, अशोक नगर, गन्नौर, जिला– सोनीपत – 101101.

ट्रस्ट का मुख्य कार्यक्षेत्र हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आदि होगा। इसके अतिरिक्त इस ट्रस्ट के शाखा व उप–शाखा कार्यालय आवश्यकतानुसार भारतवर्ष सहित सम्पूर्ण संसार में कहीं भी खोले जा सकते हैं।

3– कार्यक्षेत्र : न्यास का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण विश्व होगा।

4– लक्ष्य एवं उद्‌देश्यः **(Aim & Objects)**

इस "दिशा" ट्रस्ट की स्थापना मुख्य रूप से जैसा कि घोषणा में कहा गया है, के साथ ही निम्न कार्य भी किये जायेगें:–

1. शिक्षा के क्षेत्र में रचनात्मक प्रयोग के माध्यम से शिक्षा के वर्तमान स्वरूप, उदेश्य और लक्ष्य के नए मापदण्ड स्थापित करना, जिनकी प्रकृति शिक्षा एवं शिक्षण को व्यवसायिकता से निकालकर सामाजिक उत्थान हेतु होगी।
2. आत्मकेन्द्रित, व्यक्तिवादी स्वार्थपरक शिक्षा–व्यवस्था के स्थान पर ऐसी शिक्षा व्यवस्था के लिए काम करना जो स्वार्थ के स्थान पर त्याग, व्यक्ति के स्थान पर समाज को प्राथमिकता दे अर्थात् ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसके केन्द्र में सामाजिक–चेतना प्रमुख हो।
3. शिक्षा को व्यापार बनाने की मानसिकता के विरूद्ध एक सांस्कृतिक एवं साहित्यिक माहौल बनाना तथा शिक्षा को धार्मिक, जातीय व लैंगिक पूर्वाग्रहों से मुक्त कर उसे पूर्ण वैज्ञानिक तर्क–सम्मत और जनवाद के मूल्यों से युक्त करना।
4. शिक्षा एवं शिक्षण में सभी रूढ़िवादी एवं प्रतिक्रियावादी सोच के स्थान पर प्रगतिशीलता को स्थापित करना तथा शिक्षा को अन्ध–राष्ट्रवाद और क्षेत्रीय/राष्ट्रीय भाषाई संकीर्णतावाद से मुक्त कर सर्व–व्यापक बनाना।
5. सबके लिए समान शिक्षा ओर सबको स्वावलम्बन हेतु विभिन्न प्रकार की दक्षता/कुशलता युक्त करने के लिए पूर्ण प्रयास करना एवं साथ ही समाज के सबसे गरीब, वंचित, विकलांग एवं अभावपूर्ण स्तर के बच्चों को अपने शैक्षणिक प्रयोगों में प्राथमिकता देना।
6. विभिन्न सामाजिक समस्याओं पर समाज में वैज्ञानिक–दृष्टिकोण का प्रचार करना। ट्रस्ट के सभी कार्यक्रम हमारी संस्था के मानवीय एवं आर्थिक संसाधनों के अनुकूल होगें।
7. "दिशा" ट्रस्ट अपने लक्ष्य और उदेश्यों की प्राप्ति के लिए संस्था ऐसे जन–स्कूलों का निर्माण करेगा जहाँ पूर्ण रूपेण अलाभकारी अध्ययन

Scanned with OKEN Scanner

एवं अध्यापन की व्यवस्था होगी तथा जहाँ शिक्षा के क्षेत्र में अभिनव प्रयोगों को मूर्त–रूप प्रदान किया जाएगा।

8. शिक्षा से सम्बन्धित प्रगतिशील, वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर चर्चाऐं आयोजित कराना तथा इस हेतु प्रवीण शिक्षा–शास्त्रियों, विद्वानों व दार्शनिकों को बुलाकर गोष्ठियों का आयोजन करवाना।

9. शिक्षा के क्षेत्र में सांस्कृतिक, साहित्यिक व कलात्मक गतिविधियों के महत्व को स्थापित करने हेतु विभिन्न सांस्कृतिक, साहित्यिक आयोजनों व कार्यक्रमों को कराना।

10. स्थानीय स्तर के अपने अभिनव प्रयोगों से जोड़ना, उनके साथ अपनी समझ को सांझा करना, उनके बीच में शैक्षिक कार्यक्रम का आयोजन कर, प्राप्त अनुभव को प्रयोग में लाना।

11. स्थानीय स्तर पर समिति/उप–समितियों का गठन करना तथा उनको अपने प्रयोग के लिए सहयोगी बनाकर जनसंस्कृति एवं जन–साहित्य की प्रस्थापनाओं को मजबूत बनाना। कार्य सम्पादन पश्चात् ये समिति/ उप–समितियाँ स्वतः भंग हो जायेगीं।

12. शैक्षिक व शैक्षणिक प्रचार/प्रसार की विभिन्न गतिविधियों का आयोजन संस्था के लक्ष्यों को प्रचारित/प्रसारित करने हेतु किया जायेगा।

13. "दिशा" ट्रस्ट द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक शिक्षा व तकनीकी शिक्षा हेतु शोध/अनुसंधान द्वारा विकास (Reaserch & Devlopment) आदि पर बल देकर समाज को लाभान्वित किया जायेगा।

14. "दिशा" ट्रस्ट द्वारा बालक एवं बालिकाओं के ज्ञानवर्धन हेतु पुस्तकालयों एवं वाचनालयों की स्थापना कर उनका प्रबन्ध करना तथा बालक एवं बालिकाओं में राष्ट्र–प्रेम की भावना जाग्रत करने हेतु उनको शिक्षा से विभूषित किया जायेगा।

15. विभिन्न भाषा के प्रचार/प्रसार करने एवं कला में रूचि रखने वालों को अवसर देने हेतु पंजीकृत प्रशिक्षण केन्द्र खोलकर उनको प्रशिक्षित करना। साथ ही देश–हित, समाज–हित व सम्पूर्ण व्यवस्था सुधार हेतु विभिन्न सामयिक कार्य कराना।

16. वायु, जल ध्वनि एवं मानसिक प्रदूषणों की रोकथाम हेतु प्रयास तथा पर्यावरण संतुलन व संरक्षण से सम्बन्धित समस्त प्रकार के कार्य कराना।

17. नशाखोरी, गम्भीर रोगों के बचाव हेतु जागरूकता, परीक्षण, उपचार, रक्तदान शिविरों की व्यवस्था तथा अंगदान आदि जैसे कार्यों के प्रति जन–जागृति एवं प्रोत्साहन का कार्य कराना।

18. ट्रस्ट द्वारा प्रारम्भिक स्तर से लेकर उच्च–स्तर (विश्वविद्यालय स्तर तक) की नैतिक, तकनीकी, प्रावैधिक शिक्षा एवं अन्य विभिन्न प्रकार से स्वावलम्बन व आत्मनिर्भरता हेतु शिक्षण/प्रशिक्षण की व्यवस्था, निपुणता तथा कौशल विकास (Skill Development) हेतु विद्यालयों की स्थापना व संचालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त न्यास द्वारा विद्यालय हेतु चल अचल सम्पत्ति प्राप्त/क्रय कर उसे संस्था के विकास में लगाया जायेगा।

Scanned with OKEN Scanner

19. समाज में स्वास्थ्य संवर्धन हेतु भारतीय योग एवं प्राकृतिक आर्युविज्ञान संस्थान, धर्मार्थ चिकित्सालय, जड़ी–बूटी उद्यान, औषधीय खेती आदि से सम्बन्धित समस्त कार्यों को कराना।
20. योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा एवं शाकाहार के प्रति जागरूकता तथा मानव हित में औषधि निर्माण, वितरण व सहायता उपलब्ध कराना।
21. "दिशा" ट्रस्ट द्वारा साहित्य एवं साहित्यकारों के प्रोत्साहन के लिए विभिन्न कार्य करना तथा समाचार–पत्र, पत्रिकाओं एवं उत्तम साहित्यों का प्रकाशन तथा वितरण आदि किया जायेगा।
22. समाज में व्याप्त बाल–विवाह, कन्या भ्रूण–हत्या, अंध–विश्वास, रूढ़ियों/ कुरूतियों आदि को दूर कराना। गौ, कन्या आदि के प्रति आदर भाव समाज में विकसित करना व विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन कराना।
23. दैवीय एवं मानवकृत आपदाओं (Disasters Management) में राहत, पुर्नवास, विकास एवं सभी प्रकार के प्रबन्धन का कार्य कराना।
24. "दिशा" ट्रस्ट द्वारा सभी प्रकार के उपेक्षित, अव्यवस्थित एवं व्यवस्था विहीन संस्थाओं, आश्रमों आदि को संरक्षण में लेकर उनकी देखरेख, जीर्णोद्धार कराना, हस्तान्तरण करना तथा हर प्रकार का प्रबन्ध करना।
25. समान विचारधारा वाली अन्य योग्य/सम्मानित संस्थाओं के साथ सामंजस्य स्थापित कर सहयोग देकर व सहयोग लेकर शैक्षणिक कार्यक्रमों को चलाना एवं शिक्षा के क्षेत्र में हुए नये–नये प्रगतिशील विधियों का अध्ययन करना उन्हें प्रत्यक्ष समझकर व आत्मसात कर प्रयोग में लाना।
26. ट्रस्ट के उत्थान हेतु विधायक निधि, सांसद निधि, राज्य/भारत सरकार के मन्त्रालयों से तथा व्यक्तिगत, सामाजिक, सरकारी, गैर–सरकारी, देशी, विदेशी, दान/अनुदान एवं अन्य सहायतायें प्राप्त कर योजनाओं/परियोजनाओं का संचालन कराना।

नियमावली (Rules & Regulations)

5– न्यास का स्वरूपः

"दिशा" ट्रस्ट के संस्थापक/प्रबन्धक एवं महासचिव श्री मुकेश दिगानी हैं, जो आजीवन स्थायी होगें। ट्रस्ट के संगठन में संस्थापक ट्रस्टी के अलावा अनेक सदस्य बनाये जायेगें। जिनमें से चुनकर एक बोर्ड का गठन होगा। इस बोर्ड के सदस्यों को 'बोर्ड–आफ–ट्रस्टीज' (Executive Body) कहा जायेगा। 'बोर्ड–आफ–ट्रस्टीज' में से ही समयानुसार एवं ट्रस्ट की आवश्यकतानुसार विभिन्न पद (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, सदस्य आदि) सृजित कर सदस्यों/ पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य निर्धारित किये जायेगें। ये पदाधिकारी ट्रस्ट के प्रबन्ध की व्यवस्था एवं आवश्यकतानुसार अपने जीवनकाल में संस्थापक ट्रस्टी की सहमति से अपने प्रतिस्थानी की नियुक्ति ट्रस्ट के विकास के हित में कर सकते हैं।

Scanned with OKEN Scanner

6— सदस्यता के वर्गः

प्रारम्भिक स्तर पर मूलभूत रूप से जो सदस्य बनायें जायेगें, उनकी सदस्यता के निम्न वर्ग होगें:—

1 साधारण / वार्षिक—सदस्य
2 आजीवन—सदस्य
3 विशिष्ट / अतिथि—सदस्य

विश्व का कोई भी व्यक्ति (स्त्री व पुरूष) चाहे वह किसी भी राष्ट्रीयता, धर्म या जाति का हो, यदि वह दिशा के घोषणा—पत्र और संविधान को स्वीकार करता है तथा नियमित रूप से निर्धारित सदस्यता शुल्क देता है, साथ ही संस्था के लक्ष्य एवं उद्देश्य की पूर्ति के लिए घोषित कार्यक्रम के अनुसार कार्य करता है तो उसे ट्रस्ट की सदस्यता दी जा सकती है। वर्तमान में साधारण / वार्षिक सदस्यता शुल्क रू0 500 / — आजीवन सदस्यता रू0 11,000 / — होगा।

विशिष्ट सदस्यता का प्राविधान अतिथि—सदस्य, अति—विशिष्ट / महानुभाव एवं विदेशी नागरिकों हेतु किया गया है, जिनकी सदस्यता शुल्क रू0 11,000 / — से अधिक (जितनी इच्छा हो) होगा तथा इनकी सदस्यता अवधि का निर्धारण भी ट्रस्टी आम सहमति से करेगें। उल्लेखनीय है कि सभी सदस्यता के वर्गों की सदस्यता शुल्क परिवर्तनीय होगी जिसका सामयिक निर्धारण ट्रस्टियों की आम सहमति से किया जाता रहेगा।

ट्रस्ट का सदस्य किसी ऐसे संगठन, संस्था, दल या मंच से सम्बन्ध नहीं रखेगा, जिसके उद्देश्य व्यापक जनता के हितों से और "दिशा" ट्रस्ट के उद्देश्यों के विपरीत हों। ट्रस्ट की सदस्यता हेतु अपेक्षित / निर्धारित धनराशि नगद, चेक / ड्राफ्ट आदि के माध्यम से देकर बना जा सकेगा। कोई भी व्यक्ति यदि चाहे तो चल—अचल सम्पत्ति देकर भी ट्रस्ट का अंग / सदस्य बन सकता है। किसी भी प्रकार की सदस्यता के लिए संस्थापक की लिखित सहमति प्राप्त करना अनिवार्य है।

7— बोर्ड—आफ—ट्रस्टीः

ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आम सहमति से एक बोर्ड का गठन उपरोक्तानुसार किया जायेगा, जो आवश्यकता एवं व्यवस्था के अनुसार कार्य करेगें। इनकी संख्या आवश्यकतानुसार घटायी एवं बढ़ायी जा सकेगी तथा इन्हें न्यास के संस्थापक—ट्रस्टी के अधिकारों में हस्तक्षेप का कोई अधिकार नहीं होगा।

भविष्य में कार्य एवं आवश्यकतानुसार सभी प्रकार के सदस्यों में से पद सृजित कर कार्यभार सौंपा जोयगा। इनका कार्यकाल दो वर्ष का होगा। दो वर्ष के बाद कार्य की समीक्षा कर आम सहमति से उनका कार्यकाल बढ़ाया जाता रहेगा। ट्रस्ट के नये पदाधिकारियों का विवरण एक अलग रजिस्टर में रखा जायेगा। इस हेतु रजिस्टर्ड ट्रस्ट—डीड को बार—बार संशोधित नहीं किया जायेगा। यदि कोई ट्रस्टी किन्हीं कारणोंवश ट्रस्ट की व्यवस्था हेतु उपयुक्त नहीं पाया जाता है अथवा वह स्वयं ट्रस्ट से अलग होता है, तो ट्रस्ट के सफल

संचालन हेतु उस रिक्त–स्थान की पूर्ति संस्थापक अन्य ट्रस्टियों की आम सहमति से किसी भी समय दूसरे योग्य व्यक्तियों को रखकर करेगा।

संस्थापक ट्रस्टी के अतिरिक्त वर्तमान में आम सहमति से गठित बोर्ड–आफ–ट्रस्टीज का स्वरूप निम्न प्रकार है –

क्र.स.	नाम व पता	जन्मतिथि	व्यवसाय	पद
1	डा श्याम मूलचन्द जैन हस्पताल, देवी लाल चौक गन्नौर	18–05–1969	चिकित्सक	संरक्षक
2	विरेन्द्र चुघ मै0 भगवान दास ओमप्रकाश सब्जी मण्डी, गन्नौर	02–10–1966	व्यवसायी	संरक्षक
3	अमित जैन मै0 महावीर प्रसाद लखमी चन्द जैन, नई अनाज मंडी, तह0 गन्नौर, जिला सोनीपत	30–04–1976	व्यवसायी	अध्यक्ष
4	मुकेश दिगानी 90/13, अशोक नगर गन्नौर जिला सोनीपत	10–10–1978	शिक्षक	सचिव
5	मदन मितल 29/11 के डी नगर गन्नौर जिला सोनीपत	05–04–1977	व्यवसायी	कोषाध्क्ष
6	हिमांशु अरोडा सी 146 ऋषि नगर, रानी बाग, दिल्ली	17–10–1984	व्यवसायी	सह सचिव
7	पूजा 90/13, अशोक नगर गन्नौर जिला सोनीपत	05–10–1974	शिक्षक	सदस्य
8	हिताक्षी 574/बी महोल्ला कलां, सोनीपत	22–08–1979	शिक्षक	सदस्य

7.1 ‘बोर्ड–आफ–ट्रस्टीज बोर्ड के सदस्यों के सामान्य अधिकार/कर्तव्यः

‘बोर्ड–आफ–ट्रस्टीज में से ही अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोशाध्यक्ष, सदस्य आदि पद उपरोक्तानुसार गठित होंगे, जिनके अधिकार एवं कर्तव्य अलग से रेखांकित किये जा रहे हैं। इनके अतिरिक्त अन्य सामान्य अधिकार एवं कर्तव्य निम्नांकित होंगे :–

1. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कोष बनाना, सहयोग देना एवं कोष बढ़ाने हेतु सभी विधिसम्मत उपाय करना।
2. ट्रस्ट के लक्ष्य एवं उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु संस्थापक–ट्रस्टी के साथ कार्यों में विधिसम्मत सहयोग करना तथा ट्रस्ट के समस्त प्रबंधन/संचालन में सहयोग करना।

3. किसी भी विवाद पर संयुक्त रूप से मिलजुल कर सभी प्रकार का सहयोग देकर निपटारा कराना तथा समस्त कार्यक्रमों, आयोजनों में हर प्रकार सहायता करते हुए सम्पन्न कराना।
4. सभी बैठकों में भाग लेना एवं किसी कारण बैठक में न आ सकने पर लिखित सूचना देना। यदि न्यास में न रहना चाहे तो अपना लिखित त्यागपत्र एक माह की नोटिस में दे सकते हैं।
5. ट्रस्ट की उन्नति हेतु विचार–विमर्श करना एवं संस्थापक–ट्रस्टी को सलाह देना।
6. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु भावी योजनायें बनाना एवं क्रियान्वयन कराना तथा संस्थापक न्यासी पदाधिकारियों द्वारा सौंपे गये समस्त कार्यों को करना।
7. आम सभा की बैठक बुलाने हेतु 1/3 सदस्यों से कोरम पूर्ण माना जायेगा। सभी को अपना मत देने का अधिकार होगा।

8— "दिशा" ट्रस्ट के प्रबन्धन एवं संचालन हेतु पदानुसार निम्न प्रकार की शक्तियाँ पदाधिकारियों में निहित होंगीः—

8.1— अध्यक्षः— अध्यक्ष ट्रस्ट की बैठकों की अध्यक्षता करेगा। अध्यक्ष अनुपस्थिति संस्थापक ट्रस्टी/महासचिव स्वयं अथवा उपाध्यक्ष या किसी अन्य व्यक्ति को बैठक की अध्यक्षता हेतु नियुक्त कर सकता है। अध्यक्ष आकस्मिक आवश्यकतानुसार संस्थापक ट्रस्टी/महासचिव की सहमति से रू0 10,000/— (दस हजार) तक का व्यय कर सकता है तथा संस्थापक ट्रस्टी/महासचिव के सहयोग से ट्रस्ट का प्रतिनिधित्व करेगा।

8.2— उपाध्यक्षः— अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सभी अध्यक्ष के कार्य उपाध्यक्ष कर सकता है । बाद में अपने कार्यों को अध्यक्ष से अनुमोदित करवाना होगा ।

8.3 संस्थापक ट्रस्टी/महासचिवः

1. अध्यक्ष/न्यासी ट्रस्ट का मुख्य पदाधिकारी होगा।
2. ट्रस्ट के बैठकों को आयोजित करवाना एवं आवश्यकतानुसार अध्यक्षता हेतु स्वयं या किसी ट्रस्टी को नियुक्त करना।
3. ट्रस्ट के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु दान, अनुदान, चन्दा आदि नगद एवं वस्तु किसी भी व्यक्ति, संगठन आदि से स्वीकार करना।
4. ट्रस्ट के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उधार का लेन–देन, सुनिश्चित भुगतान का लेन–देन करना।
5. ट्रस्ट के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु यदि आवश्यकता हो तो प्रतिभूति बनाना व चल–अचल सम्पत्ति के रूप में रखना।
6. ट्रस्ट की सम्पत्तियों का क्रय, विक्रय आदि अन्य संस्थापक न्यासियों के माध्यम से या उनकी सहमति से करना।
7. ट्रस्ट की सम्पत्ति उन शर्तों के साथ, जो ट्रस्ट की उद्देश्यों को पूर्ण करें व ट्रस्ट की उन्नति करें, के लिए किराये पर देना, नीलाम करना या बिक्री करना तथा इससे जो लाभ अर्जित होगा उसे न्यास के कोष में रखना।
8. ट्रस्ट से सम्बन्धित व न्यास के अर्न्तगत सभी कानूनी कार्यवाही सम्पन्न कराने एवं उसके लिए वकील आदि की नियुक्ति कराना।

Scanned with OKEN Scanner

9. ट्रस्ट के नाम पर निवेश करना, लाभ प्राप्त करना, सम्पत्ति सृजित करना तथा उन सबका प्रबन्धन/नियन्त्रण न्यास की सम्पत्ति के विकास हेतु करना।
10. ट्रस्ट के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समय-समय पर योजनाओं का निर्माण करना, नियम/उप-नियम बनाना, कमेटी/सब-कमेटी बनाना तथा किसी भी व्यक्ति को ट्रस्ट के कार्यों हेतु नियुक्त करना, दण्ड देना अथवा निष्कासित करना।
11. ट्रस्ट के उत्थान हेतु व्यक्तिगत, सामाजिक, सरकारी, गैर सरकारी, देशी, विदेशी दान, अनुदान एवं अन्य सहायतायें प्राप्त करने में सहयोग करना तथा न्यास के कोष का प्रबन्धन एवं सम्पूर्ण नियन्त्रण रखना।
12. ट्रस्ट के सभी अभिलेखों व कोष का अभिरक्षक के रूप में प्रभार रखना तथा सम्बन्धी समस्त प्रकार के पत्राचार पर हस्ताक्षर करना एवं नियन्त्रण करना। सभी ट्रस्टियों का सहयोग लेकर टीम-भावना से कार्य करना।

8.4- सचिवः सचिव का कार्य महासचिव के अधीन होगा। महासचिव की अनुपस्थिति में साधारण निर्णय लेने का अधिकार होगा, परन्तु नीतिगत निर्णय महासचिव ही ले सकेगें। सचिव ट्रस्ट के सभी कार्यों एवं निर्णयों को बाद में महासचिव द्वारा अनुमोदित करवाएगा।

8.5- कोषाध्यक्षः कोषाध्यक्ष एकाउण्टिंग से सम्बन्धित सभी अभिलेखों के रख-रखाव का उत्तरदायी होगा। खातों की देख-रेख करना, वार्षिक बजट प्रस्तुत करना, चार्टर्ड-एकाउण्टेंट से आडिट करवाकर बैलेन्स-शीट बनवाना, सभी प्रकार के लेन-देन व वित्तीय कार्यवाही का उत्तरदायित्व पारदर्शिता से करेगा। आकस्मिक व्यय महासचिव के अनुमोदन से करेगा।

9- आम-सभा/बोर्ड-आफ-ट्रस्टी की बैठकें:-

आम सभा ट्रस्ट के सभी सदस्यों व पदाधिकारियों से मिलकर बनेगी, जिसकी बैठक वर्ष में एक बार आवश्यक रूप से होगी। वार्षिक बैठक में संस्था के कार्यों की समीक्षा, बजट/आय-व्यय की रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण व आगामी कार्यों/अभियानों की समीक्षा करना एवं उनका अनुमोदन आदि कार्य होगें। संस्था के उद्देश्यों में संशोधन व उन्हें उन्नत करने पर विचार-विमर्श होगा। प्रत्येक दो वर्ष बाद ट्रस्ट की कार्यकारिणी का गठन होगा। आकस्मिक-बैठक कभी भी हुआ करेगी। 'बोर्ड-आफ-ट्रस्टीज की बैठक दो माह में एक बार होगी, जिसमें सभी प्रकार के महत्वपूर्ण फैसलों, कार्यों की समीक्षा आदि के बारे में विचार किया जायेगा। सभी बैठकों हेतु उपलब्ध सदस्यों में से आधे से अधिक की संख्या का कोरम होगा।

10- सदस्यता की समाप्ति की दशाः

निम्न अवस्था में ट्रस्ट की सदस्यता समाप्त हो जायेगी:-

1. बिना बताये लगातार बैठकों में अनुपस्थित होना।
2. अज्ञातवास में चले जाने पर, जब एक वर्ष से अधिक की अवधि व्यतीत हो जाय।
3. त्याग-पत्र देने पर या मृत्यु होने पर।

4. पागल एवं दिवालिया होने पर।
5. अपराधिक कार्यों में लिप्त होने अथवा न्यास के विरूद्ध एवं अहितकारी कार्य करने पर।

11– न्यास का बैंक एकाउण्टः "दिशा" ट्रस्ट के कोष का खाता किसी भी बैंक अथवा पोस्ट आफिस में संस्थापक/प्रबन्धक एवं महासचिव, अध्यक्ष तथा कोषाध्यक्ष तीनों द्वारा खोलकर किन्हीं दो के हस्ताक्षरों से संचालन किया जायेगा। इसमें संस्थापक/प्रबन्धक एवं महासचिव के हस्ताक्षर अनिवार्य रूप से होगें। आय–व्यय का लेखा परीक्षण, अभिलेख आदि नियमानुसार रखा जायेगा।

12– न्यायिक दावे:

1. किसी के ऊपर दावा करना अथवा दावा किसके ऊपर होगा, इसे संस्थापक/न्यासी सुनिश्चित करेगा।
2. ट्रस्ट के विरूद्ध यदि कोई वैधानिक देयता बनती है तो इसकी पूर्ति न्यास के पदाधिकारियों के व्यक्तिगत सम्पत्ति से नहीं, बल्कि ट्रस्ट की सम्पत्ति से की जायेगी।
3. किसी भी प्रकार के विवाद का निपटान प्रान्तीय स्तर पर (हाईकोर्ट, चण्डीगढ़) के अर्न्तगत ही निपटाये जायेगें।

13– अन्यः "दिशा" ट्रस्ट में समय–समय पर कार्य की आवश्यकतानुसार समिति व उप–समितियों का गठन संस्थापक पदाधिकारियों द्वारा किया जायेगा जो कार्य समाप्ति के पश्चात् स्वतः भंग हो जायेगीं। सभी पदाधिकारी एवं सदस्य अवैतनिक होगें, परन्तु ट्रस्ट के कार्यों के लिए किये गये व्यय एवं पूर्णकालिक आदि की स्थिति में व्यय की छतिपूर्ति एवं मानदेय दिया जा सकता है। कोई भी कार्य निजी स्वार्थ या लाभ के लिए नहीं किया जायेगा।

वर्तमान समय में ट्रस्ट के पास कोई अचल सम्पत्ति नहीं है। भविष्य में ट्रस्ट के विघटन की स्थिति में ट्रस्ट की समस्त सम्पत्ति किसी दूसरी सम्मानित संस्था में नियमानुसार विलय की जायेगी।

14– संस्थापक ट्रस्टी ने ऊपर वर्णित तिथि, मास एवं वर्ष में निम्न साक्षियों की उपस्थिति में इस न्यास–पत्र का निष्पादन किया गया।

(मुकेश दिगानी)
संस्थापक/प्रबन्धक एवं महासचिव
"दिशा" शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक ट्रस्ट

साक्षीगण:

1–

2–

स्थान : गन्नौर, सोनीपत
दिनांक: 27 सितम्बर , 2012

टाइपकर्ता श्री गुनकेश त्रिपाठी
टाईपिस्ट

मसविदाकर्ता

राम प्रसाद कौशिक
अधिवक्ता ..., गन्नौर
...ंस नं॰ 2/1981

Reg. No.	Reg. Year	Book No.
3548	2012-2013	1

न्यासकर्ता

गवाह

न्यासकर्ता
मुकेश दींगानी_______________

न्यासी

गवाह 1:- शकुन्तला स0_______________ गवाह 2:- राजीव_______________

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यह प्रलेख कमांक 3,548 आज दिनाँक 27/09/2012 को बही न: 1 जिल्द न: 127 के पृष्ठ न: 77 पर पंजीकृत किया गया तथा इसकी एक प्रति अतिरिक्त बही सख्या 1 जिल्द न: 2,391 के पृष्ठ सख्या 71 से 79 पर चिपकाई गयी। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि इस दस्तावेज के प्रस्तुतकर्ता और गवाहो ने अपने हस्ताक्षर/निशान अंगुठा मेरे सामने किये है।

दिनाँक 27/09/2012

उप/सयुंक्त पँजीयन अधिकारी
गन्नौर